

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

सचिव,
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड सरकार, रॉची।

विषय-

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधान तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुसूची 11 में वर्णित विषयों से संबंधित शक्तियों का पीआरआई (PRI) में प्रत्योजन एवं अनुपालन की स्थिति के संबंध में।

प्रसंग-

State Finance Commission letter No. वित्त (SFC)-12/24-63/वि0आ0 दिनांक- 13.05.2024 एवं वित्त (SFC) 103/वि0आ0 दिनांक-01.07.2024।

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा आपको स्मारित भी किया गया था, लेकिन अद्यतन आपके कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आप अवगत है कि 13वें भारत वित्त आयोग ने एक निर्धारित विन्दुओं पर राज्य वित्त आयोगों को प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया है, जिसकी पुष्टि 15वें वित्त आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में की है। इस क्रम में आपेक्षित सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त होना अति आवश्यक है। आप अवगत है कि पूर्व में आयोग के स्तर पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथा कोई डाटा बेस भी उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र प्रसंगाधीन पत्रों के क्रम में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। श्री राघवेन्द्र झा, उप सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने दिनांक 03.12.2024 की बैठक में भाग लिया था। यह नोडल पदाधिकारी के रूप में विभागीय पत्रांक 2622 दिनांक 02.12.2024 द्वारा नामित है।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट किया जाए :-

- (i) कृषि से संबंधित गतिविधियों में पीआरआई (PRI) की भूमिका को स्पष्ट किया जाए, तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि प्रायोजित शक्तियों का अनुपालन क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है या नहीं, तथा समय-समय इसकी मोनिटरिंग की क्या कोई स्थाई व्यवस्था विभाग द्वारा किया जाता है या नहीं?
 - (ii) विभाग के अंदर गठित प्रशासनिक यूनिट-निदेशालय, समिति, कार्रपोरेशन, आयोग इत्यादि का संक्षिप्त ब्यौरा भी देना चाहेंगे।
3. Right to Service Act के तहत कृषि विभाग की कौन-कौन सी गतिविधियां आच्छादित है तथा उनके लिए क्या समयसीमा निर्धारित है, उसका एक विस्तृत ब्यौरा एवं संबंधित Act तथा नियमावली का relevant अंश की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अनुपालन, मोनीटरिंग क्या व्यवस्था है?
 4. कृषि विभाग के अधीन कतिपय जनसेवक का पद सृजित है इन रिक्त पदों को भरने की क्या प्रक्रिया है। इन कर्मियों का पीआरआई (PRI) के साथ समन्वय की क्या व्यवस्था है? अद्यतन कितने जन सेवक कार्यरत है?

5. कृषि विभाग के जनसेवक और ग्रामीण विकास विभाग के जनसेवक में क्या अंतर है? क्या जनसेवक और पंचायत सेवक के बीच कोई समन्वय स्थापित संभव हो पाता है? अंतरविभागीय समन्वय की पंचायत स्तर/प्रखण्ड स्तर जिला स्तर पर क्या व्यवस्था है?
6. कृषि विभाग के अधीन समेति केबीके (KVK) आत्मा का क्षेत्रीय स्तर पर पीआरआई (PRI) के साथ किस तरह का समन्वय है?
7. कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMC) का कृषि उत्पादन वृद्धि में क्या भूमिका है?
8. उद्योग विभाग द्वारा संचालित परिकल्पना एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि विभाग से कौन-कौन से उत्पाद सीधे तौर पर तथा कौन कौन से उत्पाद Raw Material के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं उसका राज्य एवं जिला स्तर पर स्थिति क्या है?
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा कौशल विकास प्रभाग जो श्रम नियोजन विभाग के अधीन है, उसमें किन विन्दुओं पर आपसी तालमेल तथा किस गतिविधियों में skill development के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है? अंतरविभागीय समन्वय की क्या व्यवस्था है?
10. प्रशासी विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों उनकी क्षमता जिलावार एवं राज्य स्तर का सक्षिप्त व्यौरा तैयार किया जाए तथा ऐसी किन संस्थानों से पीआरआई (PRI) को प्रशिक्षित करने से करने से कृषि विकास एवं संबंधित विषयों पर लाभ होगा? क्या अधतन पीआरआई (PRI) को प्रशासी विभागीय गतिविधियों में उनकी भूमिका के अधार पर प्रशिक्षण दिया गया है?
11. जीपीडीपी (GDP) अंतर्गत चयनित योजनाएं जो वित्तीय संसाधन (Financial Resource) के अभाव में पीआरआई (PRI) द्वारा कार्यान्वित नहीं होती है, ऐसी अकार्यान्वित योजनाएं प्रशासी विभाग से संबंधित के कार्यान्वयन की क्या प्रक्रिया विभाग में निर्धारित है? गत दो वर्षों की ऐसी कार्यान्वित/ अकार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा जिलावार देना चाहेंगे।
12. कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, SC/ST/OBC/Minority, कल्याण विभाग, जल संसाधन (सिचाई/लघु सिचाई प्रभाग), उर्जा विभाग के बीच आपसी समन्वय की क्या प्रक्रिया है तथा किन योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है जिसके कारण कृषि गतिविधियों पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है?

विश्वासभाजन,

4/23/12/24
अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांक:- वित्त(SFC)-12/24(12)-260-वि0आ0

राँची, दिनांक 23.12.2024

प्रतिलिपि:-सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/23/12/24
अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग